प्रेस नोट **दिनांक 07.03.2026**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹ 2000-2000 के अर्थदंड से हुए दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरान्त मा0 न्यायालय महिला कोर्ट CAW कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 06.03.2026 को मु0अ0सं0 23/2002धारा ,498A, 323,506 भादवी व 3/4 DP ACT का अभियोग थाना सरायलखनसी जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. बली हसन पुत्र मेहंदी हसन 2. मुस्लिम रजा पुत्र मेहंदी हसन 3. अजरा बानो पत्नी स्वर्गीय जाकिर हुसैन निवासीगण निशा रोड थाना रसड़ा जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए 02-02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹ 2000-2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री अभिनव शुक्ला प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सिद्धार्थ का सराहनीय योगदान रहा।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी 50,000/- रु0 कुल धनराशि (पचास हजार रुपये) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 50,000/- रु0 कुल धनराशि (पचास हजार रुपये) पीडित हरिकेश कुमार मौर्य पुत्र शिवकुमार मौर्य निवासी बारा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 50,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।